पत्रांक–भवन/मु0अ0(प0)यो0प्राक0–1–157/19 339(अ)/पटना, दिनांक– 30/1/26

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– सर्किट हाऊस राजगीर के परिसर में स्थित गार्डेन के रख–रखाव एवं झाड़–फूश की सफाई कार्य हेतु वित्तीय वर्ष **2025–26** में **₹44,22,640/–**, वित्तीय वर्ष **2026–27** में **₹46,43,772/–** एवं वित्तीय वर्ष **2027–28** में **₹48,64,904/–** अर्थात कुल **₹1,39,31,316/–(एक करोड़ उनचालीस लाख इकतीस हजार तीन सौ सोलह रूपये)**मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल के पत्रांक–09 अनु०, दिनांक–02.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल **₹1,39,31,316/–(एक करोड़ उनचालीस लाख इकतीस हजार तीन सौ सोलह रूपये)**मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि मांग संख्या–03 के मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य–उपमुख्य शीर्ष–80– सामान्य–लघु शीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0013–आवासीय एवं गैर आवासीय उद्यानों/पार्कों का रख रखाव एवं जीर्णोद्धार–विपत्र कोड–**03–2059800530013**–विषयशीर्ष–27–लघु कार्य–0013.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष **2025–26,** वित्तीय वर्ष **2026–27** एवं वित्तीय वर्ष **2027–28** में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि में से **₹44,22,640/–** की निकासी वित्तीय वर्ष **2025–26** में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययादेश के उपरांत हीं राशि की निकासी की जा सकेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, **कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, (बिहारशरीफ)** होंगे।

5. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नालंदा, बिहारशरीफ से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेंसी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।

6. प्रस्तुत योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–157/19 के पृष्ठ–24/टि0 पर दिनांक–10.01.2026 को प्रदान की गयी है।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–भ0/मु0अ0(प0)यो0प्राक्0–1–157/19 के पृष्ठ–28/टि0 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र सं0–7355 वि0(2), दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल को निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि को वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,

30/1/26
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 339(अ) पटना, दिनांक– 30/1/26

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालंदा, (बिहारशरीफ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 339(अ) पटना, दिनांक– 30/1/26

प्रतिलिपि–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/निरूपण उपभाग/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल/वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/उप निदेशक–1 एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, (बिहारशरीफ)/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/26
सरकार के अपर सचिव

D:\Raj_25-26\Head-2059\A.A..docx107